विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / ~~348~~ 351

दुर्ग, दिनांक - 30/09/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 104
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री,
नगर निगम भिलाई,
बी.पी. क्रमांक : 1008710975

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिवीजन वेस्ट।
2. सहायक यंत्री, नेहरू नगर जोन।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 30 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत वाटर वर्क्स प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1008710975, स्वीकृत भार 10 अश्व शक्ति, के विद्युत देयक में त्रुटिपूर्ण बिलिंग किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं :–

1. उक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई के अंतर्गत वाटर वर्क्स प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 10 अश्व शक्ति है।

3. जुलाई 2025 में उक्त विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक का कथन है कि जून 2025 में 2,884 यूनिट की बिलिंग बिना उचित मीटर रीडिंग एवं सत्यापन के की गई है। उक्त बिलिंग वास्तविक विद्युत खपत के अनुरूप नहीं है, अतः इसकी जांच कर आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

आवेदक द्वारा विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार बढ़ाकर 20 किलोवाट किए जाने, टैरिफ श्रेणी को वाटर वर्क्स से बदलकर NDLF श्रेणी में परिवर्तित किए जाने तथा LT/WT शुल्क वापस किए जाने की मांग भी की गई है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा दिसंबर 2022 से अगस्त 2026 तक की मीटर रीडिंग डायरी एवं बिलिंग गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण के अभिलेखों के अनुसार, उक्त विद्युत कनेक्शन में जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :–

क्या आवेदक के विद्युत कनेक्शन की बिलिंग मीटर की उपलब्ध रीडिंग, वास्तविक खपत एवं लागू टैरिफ के अनुसार सही की गई है तथा क्या विद्युत देयकों में संशोधन किया जाना आवश्यक है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के प्रस्तुत अभिलेखों, मीटर रीडिंग डायरी एवं बिलिंग गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्नलिखित तथ्य एवं निष्कर्ष सामने आते हैं :–

6.1. मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में विसंगति

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक के अवलोकन से पाया जाता है कि फरवरी 2023, अप्रैल 2023, मई 2023 एवं जुलाई 2023 में डोर लॉक कोड के अंतर्गत बिलिंग की गई थी। सितंबर 2023 में डिफेक्टिव कोड के अंतर्गत बिलिंग की गई। अभिलेखों के अनुसार, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित खराब मीटर अक्टूबर 2023 में बदला गया।

इसके पश्चात जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद उपलब्ध बिलिंग विवरण के अनुसार औसत खपत लगभग 2,279 यूनिट दर्ज की गई।

अतः जिन महीनों में डोर लॉक अथवा डिफेक्टिव कोड के आधार पर बिलिंग की गई है, उन अवधियों के संबंधित अभिलेखों को बिलिंग में पाई गई विसंगतियों को दूर किया जाना आवश्यक है। साथ ही, जून 2025 में की गई 2,884 यूनिट की बिलिंग की नियमों के अनुसार आवश्यक संशोधन किया जाना उचित है।

6.2. विद्युत कनेक्शन का प्रयोजन एवं टैरिफ श्रेणी

अभिलेखों एवं प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, वर्तमान में उक्त विद्युत कनेक्शन का उपयोग गोठान में पंप के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है।

अतः विद्युत कनेक्शन के वास्तविक उपयोग एवं प्रचलित टैरिफ के प्रावधानों के अनुसार इसकी उपयुक्त टैरिफ श्रेणी निर्धारित किया जाना आवश्यक है। आवेदक द्वारा वाटर वर्क्स श्रेणी से NDLF श्रेणी में परिवर्तन की मांग के संबंध में अनावेदकगण वास्तविक उपयोग एवं लागू टैरिफ प्रावधानों के आधार पर यदि प्रयोजन अथवा टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन आवश्यक पाया जाता है, तो नियमानुसार आवश्यक संशोधन किया जाना उचित होगा।

6.3. स्वीकृत भार में वृद्धि

आवेदक द्वारा विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार बढ़ाकर 20 किलोवाट किए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण लागू नियमों, तकनीकी आवश्यकताओं एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :–

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि फरवरी 2023, अप्रैल 2023, मई 2023 एवं जुलाई 2023 में डोर लॉक कोड तथा सितंबर 2023 में डिफेक्टिव कोड के अंतर्गत की गई बिलिंग लागू नियमों के अनुसार आवश्यक संशोधन करें।

2. अनावेदकगण जून 2025 में की गई 2,884 यूनिट की बिलिंग की उपलब्ध मीटर रीडिंग, एवं खपत आधार एवं लागू नियमों के अनुसार आवश्यकतानुसार संशोधित विद्युत देयक जारी करें।

3. अनावेदकगण विद्युत कनेक्शन के वास्तविक उपयोग, अर्थात गोठान में पंप के माध्यम से पानी की आपूर्ति, तथा प्रचलित टैरिफ प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त टैरिफ श्रेणी निर्धारित करें।

4. आवेदक द्वारा स्वीकृत भार 20 किलोवाट तक बढ़ाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण लागू नियमों एवं तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करें।

5. उपर्युक्त संशोधनों के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा अथवा वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी विद्युत देयकों में समायोजन किया जाए।

6. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग का विस्तृत गणना पत्रक तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

7. उपर्युक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

8. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की तारीख से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

9. आदेश पारित।

10. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग